यालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद, जिला – प्रतापगढ

सीन अधिकारी – डॉ. कुलराज मीणा (R.A.S.)

दायर दिनांक :– 02–12–2014

करण संख्या – 09 / 2014

निर्णय दिनांक :– 04-01-18

1. नाकुडीबाई पिता भेराजी पत्नी श्री नाकुडा जी जाति मीणा आयु 55 वर्ष निवासी महुडीखेडा (साखथली खुर्द) हाल मु0 सरदारपुरा तहसील अरनोद – अपीलान्ट

–:: बनाम ::–

1. रूपलाल पिता रखीया जी जाति मीणा आयु 40 वर्ष निवासी महुडीखेडा तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ राज0
2. ग्राम पंचायत साखथली खुर्द जरीये सरपंच साहब, साखथली खुर्द
3. तहसीलदार, अरनोद जिला प्रतापगढ (राज0) – रेस्पोन्डेंटस

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 425 दिनांक 22 / 6 / 2002 मौजा साखथली खुर्द पटवारी हल्का साखथली खुर्द तस्दीक ग्राम पंचायत साखथली खुर्द

उपस्थित :– 1– श्री एन.एल मीणा अभिभाषक प्रार्थी

–:: निर्णय :–

अपीलान्ट द्वारा एक अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट इस आशय का पेश किया गया कि अपीलान्ट सजरा खानदान निम्नवत है:–

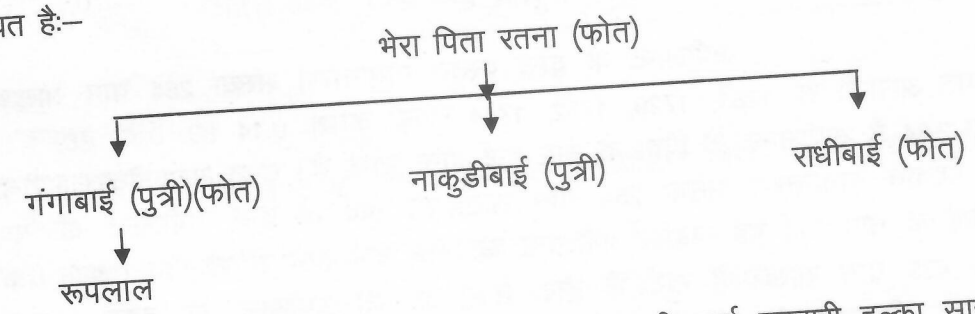

अपीलान्ट के पिता स्व0 भेरा का खाता वाके ग्राम साखथली खुर्द पटवारी हल्का साखथली खुर्द तहसील अरनोद में स्थित है। वर्तमान खाता संख्या 403 है। खाते का विवरण इस प्रकार है:–

खाता सं.	आराजी नं.	रकबा
403	1281	0.14 है.
	1729	0.37 है.
	1732	1.10 है.
	4744	1.03 है.
	कुल किता :– 4	**कुल रकबा :– 2.64 है.**

अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय भेरा पिता रतना जी जाति मीणा (फोत) की आराजी ग्राम साखथली खुर्द पटवारी हल्का साखथली खुर्द में स्थित होकर अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत से नामान्तरण संख्या 254 के जरीये केवल अपीलान्ट की माता राधीबाई व बहिन गंगाबाई के नाम दर्ज रिकार्ड हुई जबकि

ई विधिक वारिश होने से नामान्तरण संख्या 254 में भी अपीलान्ट के नाम दर्ज रिक भागीय अधिकारियों की गलती से दर्ज नहीं हो पाई।

अपीलान्ट की माता व बहिन की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी स्व0 गंगाबाई के पुत्र न्ट क्रमांक 1 ने पटवारी हल्का व रेवेन्यु अधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य रखे कि उक्त मात्र पुत्री गंगाबाई पत्नी राधीबाई ही है जो फोत हो चुके हैं तथा नामान्तरण संख्या 425 निर्वतमान क जरीये खोल दिया जो कतई अनदेखी कर खोला गया है उक्त विवादित नामान्तरण संख्या 425 निरस्त है।

अपीलान्ट के पिता भेरा पिता रतना जी की पुत्रियां जो सबसे बडी पुत्री गंगाबाई, दूसरी नाकुडीबाई व पत्नी राधीबाई अपीलान्ट माता बहिन गंगाबाई फोत हो चुकी है। भेरा की एकमात्र जीवित पुत्री अपीलान्ट ही है जो अपने माता पिता के क्रियाकर्म सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार सम्पन्न करवाये अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति में बराबर की अधिकारी है।

अपीलान्ट पटवारी हल्का साखथली खुर्द में अपने नाम की आराजी की नकल लेने गई। अपीलान्ट को विधित हुआ कि पिता की आराजी में रेस्पोंडेंट क्रमांक 1 का नाम दर्ज होने से अपील पेश करना आवश्यक हुआ।

अपीलान्ट अधिकारी है कि गलत नामान्तरण को निरस्त करवाकर एवं अपने पिता की विरासत की आराजीयात में अपना नाम दर्ज करवावें।

रेस्पोन्डेंट्स द्वारा बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी नही किए जाने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अपीलान्ट द्वारा अपने साक्ष्य में नामान्तरण संख्या 425 ग्राम साखथली खुर्द की प्रतिलिपि, नामान्तरण संख्या 254 ग्राम साखथली खुर्द, जमाबन्दी संवत् 2066–2069 ग्राम साखथली खुर्द खाता सं. 403 नया 374 पुराना ग्राम पंचायत साखथली खुर्द का वारिसान प्रमाण–पत्र आदि प्रस्तुत किए। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। बहस एवं प्रस्तुत साक्ष्यों तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 01 के जवाब का अवलोकन किया गया। निर्णय निम्नानुसार है–

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 254 ग्राम साखथली खुर्द के अनुसार प्रश्नगत आराजी सं. 1281, 1729, 1732, 1744 रकबा क्रमशः 0.14 है0, 0.37 है0, 1.10 है0, 1.03 है0 कुल रकबा 2.64 है. अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज होना स्पष्ट है। उक्त आराजीयात अपीलान्ट के पिता भेरा की मृत्यु पश्चात् नामान्तरण संख्या 254 ग्राम साखथली खुर्द के द्वारा अपीलान्ट की माता राधीबाई व बहन गंगाबाई के नाम दर्ज हुई जबकि अपीलान्ट का नाम दर्ज होने से रह गया। इसी प्रकार प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 425 ग्राम साखथली खुर्द के द्वारा उक्त आराजी अपीलान्ट की बहन व माता के फोत होने पर अपीलान्ट की बहन गंगाबाई के पुत्र रूपलाल के नाम दर्ज हुई, जबकि प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार अपीलान्ट भी भेरा की विधिक वारिसान होकर प्रश्नगत आराजी में अपने हिस्से की हकदार है। प्रस्तुत सजरा खानदान व राजस्व रिकार्ड से प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट का हिस्सा होना स्पष्ट है। अतः अपीलान्ट की अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 425 दिनांक 22/06/2002 मौजा साखथली खुर्द ग्राम पंचायत साखथली खुर्द स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरण संख्या 425 निरस्त कर प्रश्नगत आराजी में अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड करने का आदेश दिया जाता है। इस आशय की तहरीर जारी हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद